राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/21850-22080 दिनांक : 22/10/21

1. आयुक्त,
   विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. सचिव,
   समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद्/पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषयः– "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के अन्तर्गत शिविर आयोजित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय निकायों में संचालित **"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** की माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय के द्वारा समीक्षा की गयी है जिसके तहत नगरीय क्षेत्रों का कार्य असंतोषप्रद पाया गया है।

अतः नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित कर उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किये जाने की दृष्टि से निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है –

1. यह देखने में आया है कि प्राप्त आवेदनों की तुलना में प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया हैं। अतः प्राप्त आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण किया जावे। साथ ही प्रकरणों के लम्बित रहने का कारण स्पष्ट कर विभाग को अवगत कराया जावे।
2. नगरीय क्षेत्रों में जिस वार्ड/कॉलोनियों का Zonal Plan बन गया है, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर शिविर आयोजित किए जावे तथा प्रत्येक शिविर की अवधि कम से कम तीन दिवस रखी जावे।
3. जिन नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकाय विद्यमान है वहाँ आपस में समन्वय स्थापित कर निकट ही शिविर का आयोजन किया जावे, जिससे आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके।
4. जिन नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकाय विद्यमान है वहाँ यह देखने में आया है कि आम जनता को अपने आवास/कॉलोनी/क्षेत्र को लेकर यह असमंजस रहता है कि यह क्षेत्र किसके क्षेत्राधिकार में है।

   अतः ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में शिविर आयोजित करते समय नगरीय निकाय एवं प्राधिकरण/न्यास अपने अपने क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर आम जनता की सुविधा हेतु क्षेत्राधिकार की सूचना Display करे।
5. संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शिविर में उनकी भी उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 22081-22128 **दिनांक : 22/10/2021**

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
07. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को शिविर स्थलों पर सभी विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं शिविर का पर्यवेक्षण करने हेतु।
08. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
09. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक